

प्रेषक,

रंगनाथ पाण्डेय,  
प्रमुख सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा0 उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट

लखनऊ दिनांक 16 जून 2017

विषय- जनपद न्यायालय कन्नौज में न्यायिक अधिकारियों के आवासों के मरम्मत हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-117/2015/3273/सात-न्याय-9(बजट)-2015-800(3)/2015 दिनांक 07 अगस्त, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनपद न्यायालय कन्नौज में न्यायिक अधिकारियों के आवासों के मरम्मत हेतु आगणन रू067.75 लाख (रू0 सड़सठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) पर प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ प्रथम किस्त के रूप में रू0 33,88,000/- की स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- तत्क्रममें मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद न्यायालय कन्नौज में न्यायिक अधिकारियों के आवासों के मरम्मत हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू033,87,000/- (रूपये तैंतीस लाख सत्तासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

- 1- चूंकि उक्त अनुरक्षण कार्य हेतु सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम कार्यदायी संस्था नामित है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ को अधिकृत किया जाता है ।
- 2- धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक कर लिया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि बैंकखाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी ।
- 3- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराई जायेगी।
- 4- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 5- शासनादेश सं0-117/2015/3273/सात-न्याय-9(बजट)-2015-800(3)/2015 दिनांक 07 अगस्त, 2015 की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।
- 6- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस - 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

जनवरी ,2010 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक " 2014- न्याय प्रशासन - आयोजनेतर- 800-अन्य व्यय - 06- विभागीय आवासीय भवनों के अनुरक्षण हेतु प्राविधान -29- अनुरक्षण " के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2017/ बी-1-02/दस-2017 231/2017, दिनांक 02 जनवरी,2017 तथा सं0-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017,दिनांक 20 मार्च,2017 में निहित निर्देशों के अनुसार दी जा रही हैं ।

भवदीय,

(रंगनाथ पाण्डेय)

प्रमुख सचिव

**सं0- 60 /2017/876 (1)/सात-न्याय-9(बजट)-2017, तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ ।
- 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के माध्यम से ।
- 6- जनपद न्यायाधीश कन्नौज / वित्त ई- 12 ।
- 7- निदेशक सी0एण्ड डी0एस0 30प्र0 जल निगम लखनऊ ।
- 8- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।